



संदेश

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

देश की भाषा उसकी संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक होती है। भाषा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 14 सितम्बर का दिन हम सबके लिए स्मरणीय है। सन् 1949 में इसी दिन हमारी संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस दिन को हम 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाते हैं।

हर्ष का विषय है कि गत वर्षों की भांति, इस वर्ष भी हिंदी दिवस के अवसर पर विधि कार्य विभाग में हम दिनांक 1 सितम्बर, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक 'हिंदी माह' मना रहे हैं और विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं। हमारे शाखा सचिवालयों तथा प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विधि आयोग और आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठों में भी इस अवसर पर विविध आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण, मसौदे आदि तैयार करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें मूल रूप से हिंदी में काम करने की आदत डालना है।

मुझे विश्वास है कि 'हिंदी माह' के आयोजन से विभाग के कामकाज में हिंदी के प्रयोग को नई गति मिलेगी और हम 'हिंदी माह' के दौरान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे।

मैं आयोजन की सफलता की कामना करता हूँ।

(सुरेश चन्द्र)

नई दिल्ली
हिंदी दिवस, 14 सितम्बर, 2017